न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

म्यूटेशन रिविजन वाद सं0–01/2018–19

18

विकास रंजन मिश्रा
बनाम
जनक नन्दनी देवी एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह रिविजनवाद, रिविजनकर्त्ता विकास रंजन मिश्रा, पिता–स्व0 विमान बिहारी मिश्रा, मोहल्ला–कालीतल्ला, थाना–पाकुड़(नगर), जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–10/2017–18 में दिनांक–16.12.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) जनक नन्दनी देवी, पति–स्व0 बंसत कुमार मिश्रा, मोहल्ला–कालीतल्ला, थाना–पाकुड़(नगर), जिला–पाकुड़ एवं (2) अंचल अधिकारी, पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है।

मामला यह है कि जनक नन्दनी देवी (इस वाद की उत्तरवादी सं0–01) के द्वारा पाकुड़ अंचल के मौजा–पाकुड़ नं0–128 के जमाबंदी सं0–292 के दाग सं0–1468 अन्तर्गत रकवा 00–19–18 धुर जगीन का अपने नाम से दाखिल खारिज करने हेतु अंचल अधिकारी, पाकुड़ के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल आवेदन पर दाखिल खारिज वाद सं0–280/2016–17 प्रारम्भ करते हुए दिनांक–30.05.2016 को पारित आदेश द्वारा नामान्तरण की स्वीकृति नहीं देते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध जनक नन्दनी देवी के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ (आगे से निम्न न्यायालय लिखा जाएगा) के न्यायालय में अपील आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल अपील आवेदन पर दाखिल खारिज अपील वाद सं0–10/2017–18 संस्थित किया गया एवं दिनांक–16.12.2017 को पारित आदेश द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल खारिज वाद सं0–280/2016–17 में दिनांक–30.05.2016 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए जनक नन्दनी देवी के नाम प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण करने का आदेश पारित किया गया।यह रिविजन वाद निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। रिविजनकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अंचल पाकुड़ के मौजा–पाकुड़ नं0–128 के जमाबंदी सं0–292 के दाग सं0–1468 अन्तर्गत रकवा 00–19–18 धुर

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

जमीन विगत सर्वे खतियान में भवेश मंडल, कालीपद मंडल एवं विभूति मंडल के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत विभूति मंडल के पुत्र अभिराम मंडल द्वारा प्रश्नगत भूमि निबंधित विक्रय केवाला सं0–283 वर्ष 1959 द्वारा माया देवी, पति–किशुन लाल मिश्रा को विक्रय किया गया था। किशुन लाल मिश्रा एवं जय प्रसाद मिश्रा सहोदर भाई थे, जिसके पिता–धीरनाथ मिश्रा थे। वंशावली निम्नवत् बताया गया –

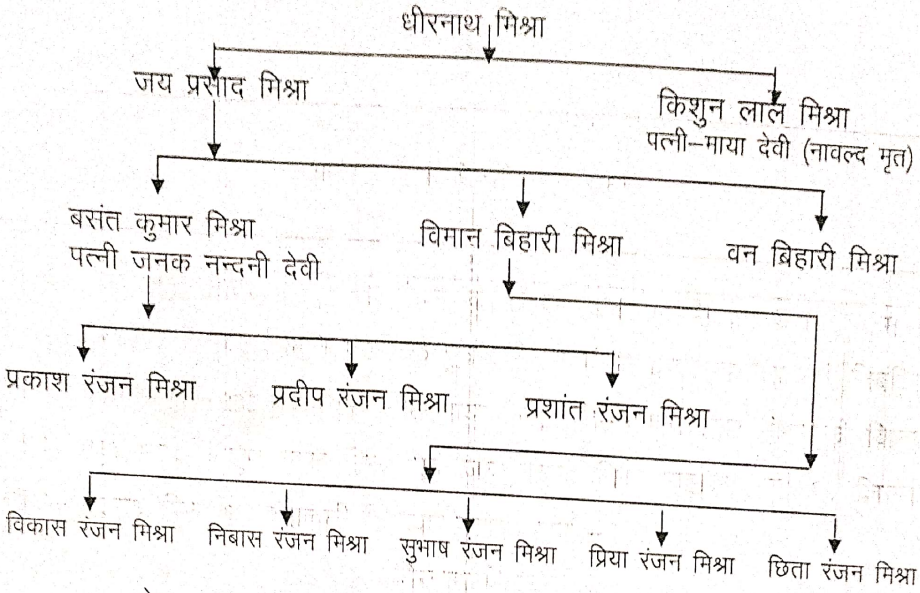

क्रेता माया देवी की नावल्द मृत्यु हो गई। प्रश्नगत भूमि के क्रय में जय प्रसाद मिश्रा के तीनों पुत्रों द्वारा बराबर–बराबर राशि दी गई। क्रय के बाद माया देवी के नाम से नामान्तरण किया गया एवं वर्षो तक माया देवी के नाम से ही पंजी–।। में प्रश्नगत भूमि दर्ज रही। परन्तु उत्तरवादी सं0–01 के पति के द्वारा चालाकी से प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण अपनी पत्नी (उत्तरवादी सं0–01) के पक्ष में अनिबंधित विक्रय केवाला द्वारा करा लिया गया। वर्षो बाद प्रश्नगत भूमि को बेचने के लिए उत्तरवादी सं0–01 के द्वारा अंचल कार्यालय, पाकुड़ में नामान्तरण आवेदन दिया गया। माया देवी द्वारा उत्तरवादी सं0–01 के पक्ष में निष्पादित केवाला अनिबंधित है तथा इसमें जय प्रसाद मिश्रा के दो अन्य पुत्रों का हस्ताक्षर अंकित नही है। उक्त अनिबंधित दस्तावेज Bonafied नही है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिनांक–30.05.2016 को आदेश पारित किया गया जो विधि के अनुरूप एवं सही है। उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों की अनदेखी की गई। वर्ष 1975 में जय प्रसाद मिश्रा के तीनों पुत्रों के बीच पारिवारिक सम्पति का बंटवारा हुआ। उक्त बंटवारे में प्रश्नगत भूमि का बंटवारा तीनों भाईयों के बीच नही किया गया। बंटवारे के वक्त उक्त भूमि को उत्तरवादी सं0–01 के पति बंसत कुमार मिश्रा द्वारा छुपा लिया गया। बंसत

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

कुमार मिश्रा उस वक्त परिवार के मुखिया थे एवं सभी कागजात उन्हीं के पास था। प्रश्नगत मामला प्रश्नगत भूमि के बंटवारे को लेकर है। राजस्व न्यायालय स्वत्व एवं भूमि के बंटवारें के संबंध में निर्णय नहीं दे सकती है। निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों की अनदेखी की गई, सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नही किया गया एवं उत्तरवादी सं0–01 के साथ मिलकर गलत आदेश पारित कर दिया गया। उनके द्वारा रिविजन आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी सं0–01 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत के वंशज अभिराम मंडल के द्वारा निबंधित विक्रय केवाला सं0–283 वर्ष 1959 के द्वारा माया देवी को विक्रय किया गया था। माया देवी की मृत्यु नावल्द हुई। माया देवी द्वारा वर्ष 1963 में प्रश्नगत भूमि अनिबंधित गिफ्ट डीड के द्वारा उत्तरवादी सं0–01 को दे दिया गया। उत्तरवादी सं0–01 के पति बसंत कुमार मिश्रा एक जाने माने वकील थे एवं उनके द्वारा अपने भाईयों एवं उनके बच्चों की परवरिश की गई थी। रिविजनकर्त्ता द्वारा दर्शाया गया वंशावली पूर्ण नहीं है। माया देवी के नाम से क्रय की गई भूमि का रूपया केवल बसंत कुमार मिश्रा द्वारा दिया गया था। प्रश्नगत भूमि पर उत्तरवादी सं0–01 का वास्तविक दखल एवं कब्जा है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा सब–जज, पाकुड़ के न्यायालय में चल रहें Title Pre-emption Suit No. 34/12 के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। उक्त वाद में प्रश्नगत दाग सं0–1468 की भूमि नहीं है। अपितु दाग सं0–843 की भूमि है। यह रिविजन आवेदन कालबाधित है। दाखिल–खारिज संबंधी मामलों में दखल कब्जा महत्पूर्ण होता है। राजस्व न्यायालय को भूमि के स्वत्व, बंटवारा, अधिकार संबंधी जटिल मामले में विचारण नही कर दखल–कब्जा के आधार पर दाखिल खारिज किया जाना चाहिए। उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची द्वारा पारित निम्न न्याय निर्णयों का हवाला दिया गया है :–

(1) WP(c) No.-2797/2006 में दिनांक–13.04.2014 को पारित आदेश (JBCJ-2014 (3) Page 188 to 192)

(2) L.P.A No. 103, 104 with 105/2006 में दिनांक 02.12.2013 को पारित आदेश (JBCJ-2014 (1) Page 155 to 162)

(3) WP(c) No-6331/2006 में दिनांक–30.11.2017 को पारित आदेश (JLJR-2018 Page 303 to 306)

उत्तरवादी सं0–01 का आगे कहना है कि अनिबंधित दस्तावेज का Nature

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

and Character of Possession हेतु Collateral Purpose के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस संबंध में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उड़ीसा द्वारा RFA No.-2010/2007 में दिनांक–03.03.2011 को पारित न्याय निर्णय (2011 (2) Cir.C.R. 629 Page 629 to 634) पर भरोसा किया गया है। उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर उत्तरवादी सं0–01 का शांतिपूर्ण वास्तविक एवं भौतिक रूप से दखल–कब्जा है। निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों की गहन विवेचना कर आदेश पारित किया गया है, जो बिल्कुल विधि सम्मत एवं सही है। उनके द्वारा रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभय पक्ष की दलीलों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि निबंधित केवाला सं0–283/1959 के माध्यम से माया देवी के द्वारा क्रय किया गया था। माया देवी की मृत्यु नावल्द हुई। माया देवी के पति किशुन लाल मिश्रा का एक भाई जय प्रसाद मिश्रा थे, जिनके तीन पुत्र बसंत कुमार मिश्रा, विमान बिहारी मिश्रा एवं वन बिहारी मिश्रा हुए। उत्तरवादी सं0–01 उक्त बसंत कुमार मिश्रा की पत्नी है जबकि रिविजनकर्त्ता विमान बिहारी मिश्रा के पुत्र है। माया देवी के द्वारा उत्तरवादी सं0–01 को अनिबंधित दान पत्र के माध्यम से प्रश्नगत भूमि वर्ष 1963 में हस्तांतरित कर दी गई। रिविजनकर्त्ता द्वारा माया देवी द्वारा क्रय की गई प्रश्नगत सम्पति पर अपना हिस्सा बताते हुए दावा किया जा रहा है, तथा उक्त अनिबंधित दस्तावेज को नहीं माना जा रहा है, अर्थात इस दस्तावेज को चुनौती दी जा रही है। वहीं उत्तरवादी सं0–01 द्वारा प्रश्नगत भूमि पर उक्त अनिबंधित दस्तावेज के माध्यम से अपने दखल–कब्जा का दावा किया जा रहा है। रिविजनकर्त्ता द्वारा कहा गया है कि वर्ष 1975 में जय प्रसाद मिश्रा के तीनों पुत्रों के बीच पारिवारिक सम्पति का बंटवारा हुआ था। उक्त बंटवारे में प्रश्नगत भूमि का बंटवारा नहीं किया गया एवं इसे बंटवारे के समय छुपा लिया गया। साथ ही यह भी कहना है कि प्रश्नगत सम्पत्ति के कम मे जय प्रसाद मिश्रा के तीनों पुत्रों द्वारा राशि दी गई थी। अर्थात् रिविजनकर्त्ता को प्रश्नगत भूमि की जानकारी थी। फिर बंटवारे के समय प्रश्नगत भूमि को शामिल नहीं करने के विरूद्ध उनके द्वारा कोई आपत्ति क्यों नहीं की गई। यह रिविजनकर्त्ता के दावे को संदेहास्पद बनाता है। प्रश्नगत भूमि के बंटवारा, स्वत्व तथा अनिबंधित दस्तावेज की वैद्यता के संबंध में निर्णय पारित करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है, इसके लिए व्यवहार न्यायालय ही सक्षम न्यायालय है। यदि प्रश्नगत भूमि पर रिविजनकर्त्ता का हक, स्वत्व एवं अधिकार का कोई दावा है तो इसके लिए वो सक्षम न्यायालय की शरण में जाने के

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	लिए स्वतंत्र है। अतः रिविजन आवेदन अस्वीकृत (Reject) किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 22.02.24 उ पा यु क्त, पाकुड़। 22.02.24 उ पा यु क्त, पाकुड़।	Seen 23.2.24 Seen 26-2-2024 68/डी०नि० 26/02/2024

Digitally signed by MRITYUNJAY BARANWAL KUMAR
Date: 2024.07.19 11:18:33 +05:30
Location: 192.168.45.62

Scanned with OKEN Scanner